देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/MMP/14

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 1 अक्टूबर 2019

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

राज.उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दोषी कौन??

Part-2

जे.डी.ए. के ज़ोन-5 में कृषि भूमि पर शराब की दुकान संचालित|

प्रवर्तन अधिकारी नोटिस देकर भूले या फिर???

गोपालपुरा बाईपास रोड पर गुर्जर की थडी,करतारपुरा नाले के पास कृषि भूमि पर चल रही अवैध शराब की दूकान

पूर्व में की गयी शिकायत

शिकायत पर प्रवर्तन ने ली ज़ोन कार्यालय-5 से रिपोर्ट

इस मामले की जानकारी होने पर हमारे द्वारा दिनांक 25/04/2019 को जे.डी.ए. के अधिकारियों को शिकायत की गयी थी|जिसमे खुलासा करते हुए बताया गया था कि इस कृषि भूमि पर शर्मा बिल्डिंग मेटेरियल एंड वाटर सप्लायर्स की जगह शराब की दूकान खोली जा रही है| जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-5 द्वारा उपायुक्त कार्यालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी|

जांच में सामने आया कि कृषि भूमि पर चल रही है व्यवसायिक गतिविधि

(शराब की दूकान)

इस विषय में ज़ोन-5 के अमीन और जे.ई.एन की मौक़ा रिपोर्ट से सामने आया कि यह शराब की दूकान देवरी ग्राम के खसरा संख्या 318 एवं 320 की कृषि भूमि पर बनी हुई है|और जे.डी.ए.अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती है|

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

राजस्व नक्शा के अनुसार उपरोक्त दुकान ख० न० 318 व 320 में बनी हुई है जमाबंदी का अवलोकन करने पर ख० न० 318 व 320 [illegible] गिरधारी जीवनराम S/o मंगला [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है।

5 उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कृषि भूमि पर JDA के अधिनियम के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं की जा सकती है मात्र कृषि कार्य किया जा सकता है। जब कि उपरोक्त स्थान पर अंग्रेजी शराब की दुकान [illegible] कर व्यवसायिक गतिविधियाँ की जा रही है जो अवैध है। अतः [illegible] पूर्णिमा के विषय में निवेदन है कि उपरोक्त खातेदारी भूमि पर किसी भी निर्माण का अतिक्रमण पूर्णिमा नहीं माना जाता है। अतः प्रवर्तन अधिकारी अपने स्तर पर ही अग्रिम कार्यवाही करने के लिये पत्रावली EOS को भिजवाया जाना उचित है अवलोकनार्थ पत्रावली प्रस्तुत है।

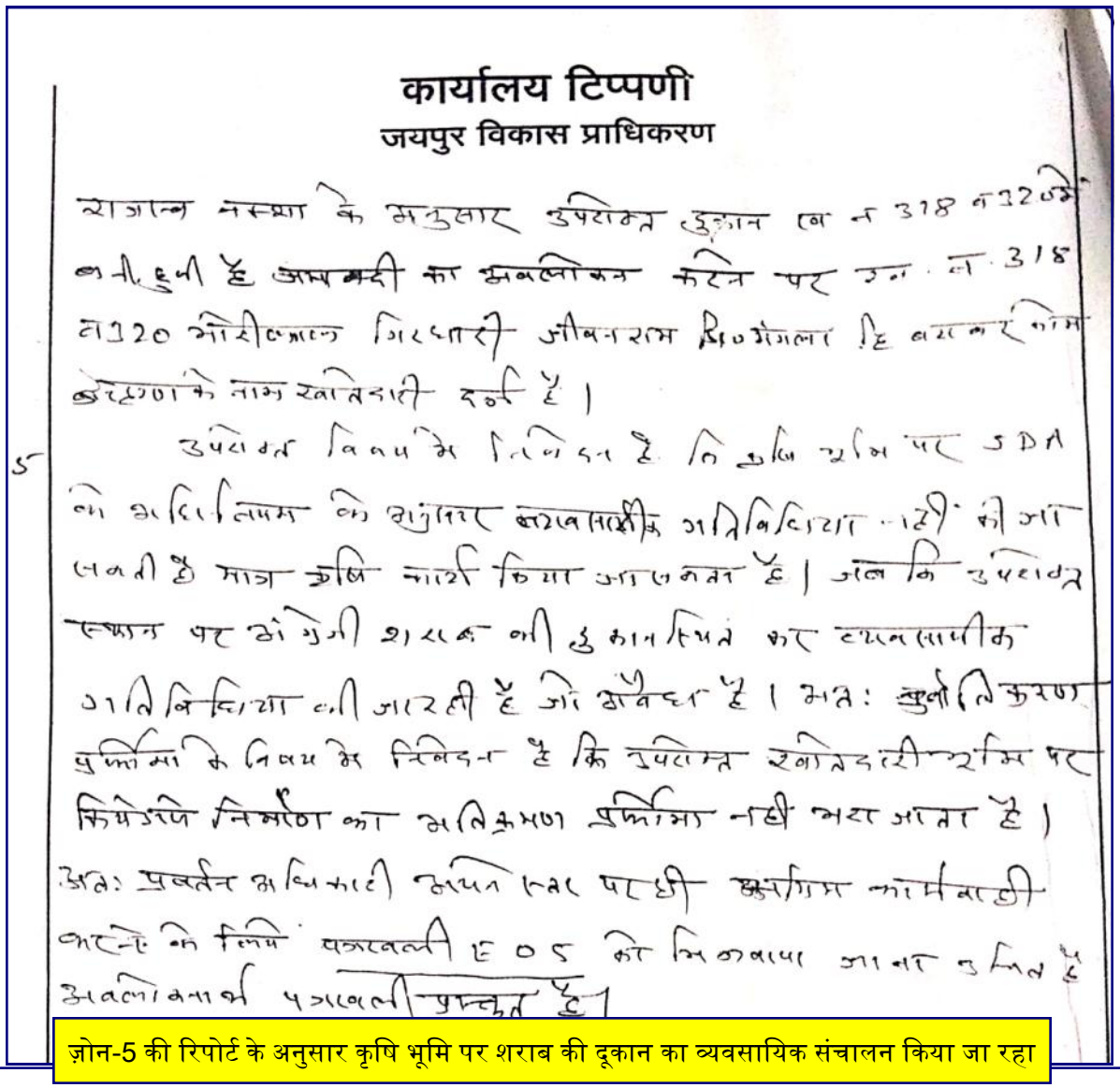

ज़ोन-5 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि पर शराब की दूकान का व्यवसायिक संचालन किया जा रहा

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा धारा 32 के तहत दिया गया नोटिस

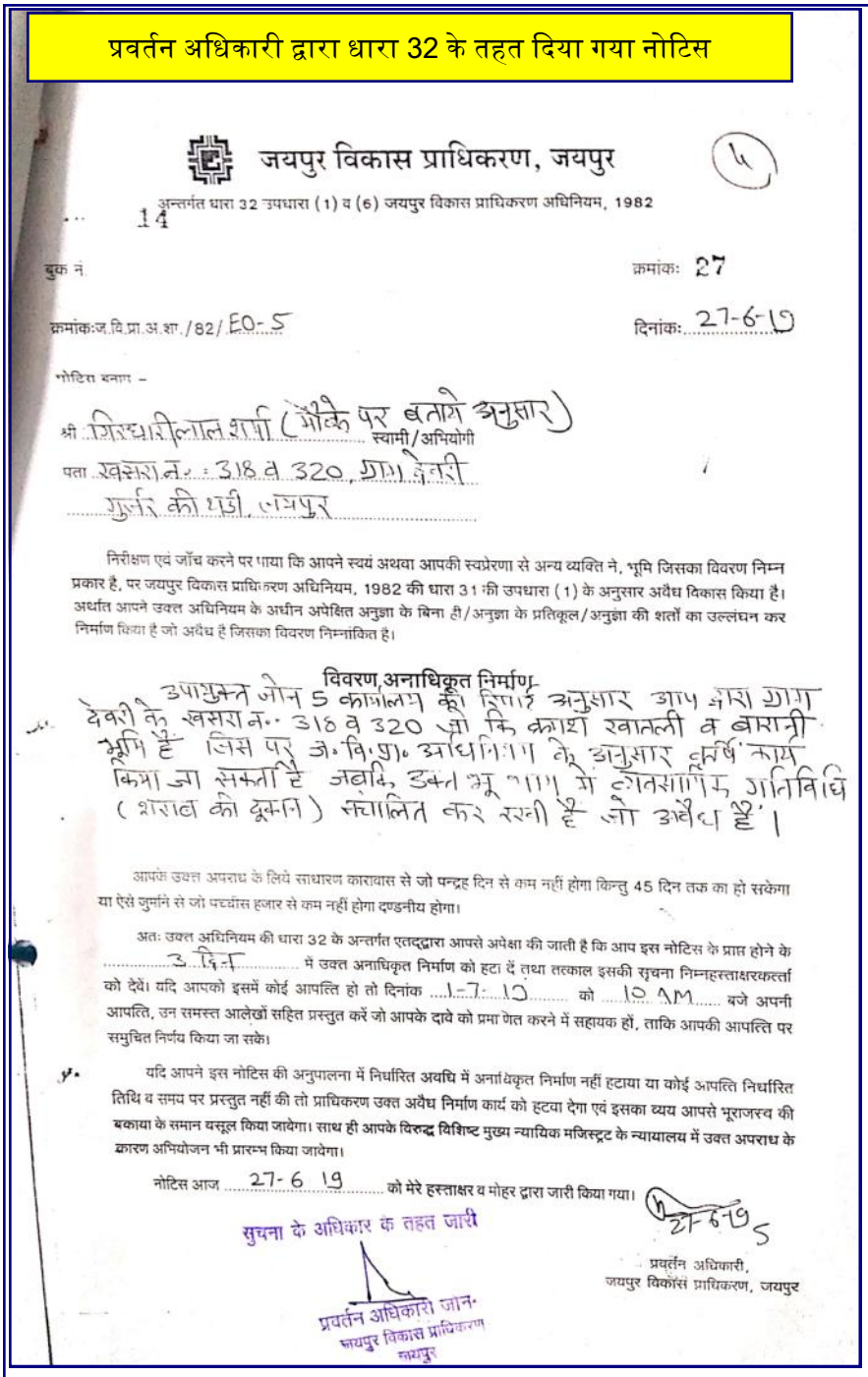

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

14

बुक नं. | क्रमांकः 27

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.शा./82/ EO-5 | दिनांकः 27-6-19

नोटिस बनाम –

श्री गिरधारीलाल शर्मा (मौके पर बताये अनुसार) स्वामी/अभियोगी

पता खसरा नं.: 318 व 320, ग्राम देवरी गुर्जर की थड़ी, जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण,अनाधिकृत निर्माण

उपायुक्त जोन 5 कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा ग्राम देवरी के खसरा नं.. 318 व 320 जो कि क्रमशः खातली व बारानी भूमि है जिस पर ज.वि.प्रा. अधिनियम के अनुसार कृषि कार्य किया जा सकता है जबकि उक्त भू भाग में व्यवसायिक गतिविधि (शराब की दुकान) संचालित कर रखी है जो अवैध है।

आपका उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 3 दिन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 1-7-19 को 10 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 27-6-19 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

सुचना के अधिकार के तहत जारी

27-6-19

प्रवर्तन अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रवर्तन अधिकारी जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रवर्तन अधिकारी नोटिस देकर भूले|

ज़ोन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 27/06/19 को धारा 32 के तहत नोटिस दिया गया|परन्तु नोटिस देने के तीन महीने बीत जाने पर भी जे.डी.ए. इस व्यवसायिक गतिविधि (शराब की दूकान) को सील नहीं कर रहा|

टीन शेड के अस्थायी निर्माण में चल रही है शराब की दूकान|

जिस दूकान में वर्तमान में इस शराब की दूकान का संचालन किया जा रहा है,वह टीन शेड के अस्थायी निर्माण में चल रही है,इस दूकान परचालू वित्तीय वर्ष में ही शराब की दूकान का लाईसेंस लिया गया है,पहले इस दूकान में " शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल एंड वाटर सप्लायर्स" के नाम से व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था|परन्तु मोटे किराए के लालच के चलते मालिक द्वारा इसे किराये पर दे दी |

प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-5 के बाबू और संविदाकर्मी की भूमिका संदिग्ध|

देखा जाए तो जे.डी.ए. में 6 माह बाद प्रवर्तन अधिकारियों के ज़ोन बदल दिए जाते है,परन्तु वर्षों से तैनात बाबू और संविदाकर्मी ही ज़ोन में हो रहे अवैध निर्माणों पर नजर गढ़ाए रखते है|यही कर्मचारी ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी से अवैध निर्माणकर्ताओं की सांठ-गाँठ बैठाते है|इस मामले में भी जे.डी.ए. के पुराने नोटिस की जानकारी छुपायी गयी और मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया|जानकारी में आया है कि यह कर्मचारी अवैध निर्माणकर्ताओं से मोटी रकम लेकर उन्हें दुकाने सील करने से बचाने के रास्ते बताते है|

सुचना पर लगा रखा है ताला

जे.डी.ए. के प्रवर्तन ज़ोन-5 में तैनात कर्मचारी इतने शातिर है कि ऐसे मामलों में सुचना मांगने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सुचना नहीं देने का हवाला देकर सुचना देने से मना कर देते है,इस मामले में भी यही हुआ परन्तु हाल ही में आये प्रवर्तन अधिकारी श्री राजीव यदुवंशी को मामले से रूबरू कराने और बाबुओं की हकीकत बताने पर उनके द्वारा शीघ्र ही सुचना दिलवाने का आश्वासन दिया गया|इन बाबुओं की मिलीभगत के चलते पूर्व में भी कई अवैध निर्माणों की सुचना प्रवर्तन कार्यालय में दफ़न है|जिसकी जांच करना आवश्यक है|

तीन साल पहले भी जे.डी.ए. दे चूका है नोटिस,परन्तु जेब गरम करने से नहीं की कोई कार्यवाही|

जिस दूकान में वर्तमान में अंग्रेजी शराब का ठेका चल रहा है,अवैध निर्माणकर्ता द्वारा उस शेड का निर्माण तीन साल पहले करवाया गया था| और बिल्डिंग मेटेरियल की सप्लाई कर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था|इसी निर्माण को अवैध मानते हुए प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तीन साल पहले धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया गया था|परन्तु अवैध निर्माणकर्ता द्वारा उस समय वर्षों पुराना मंगलम मैरिज गार्डन चलाने का हवाला देकर,जे.डी..ए.प्रवर्तन अधिकारी की जेब गरम कर दी गयी,जिसके चलते इस नोटिस पर होने वाली कार्यवाही को ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया|

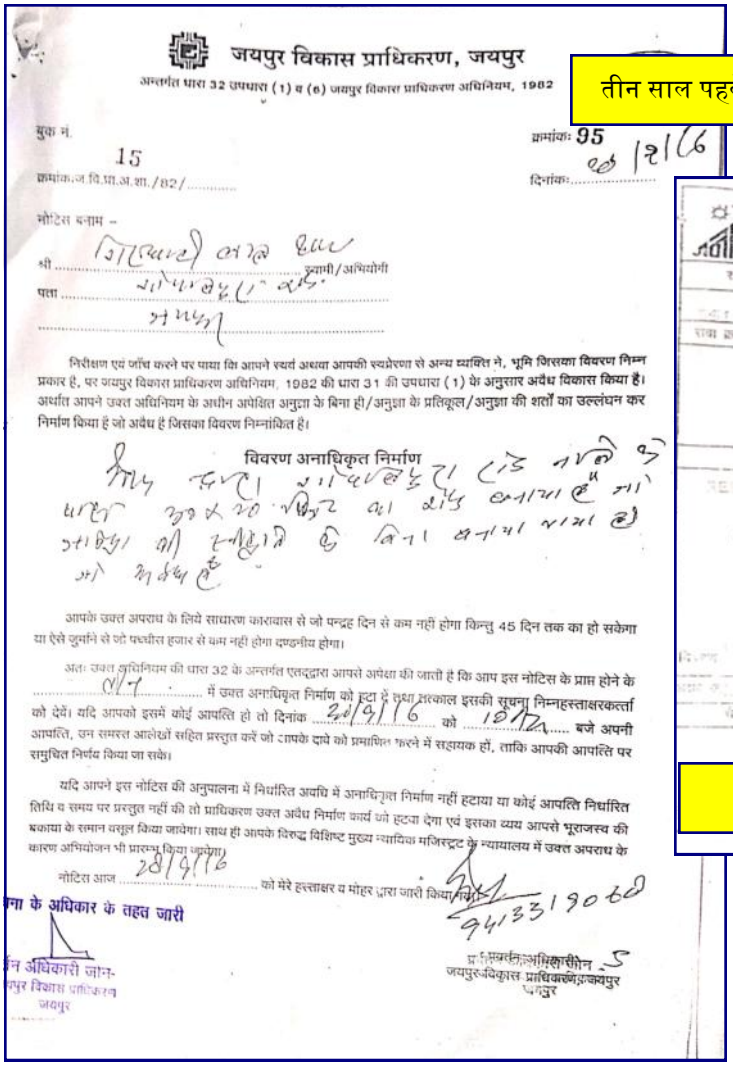

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

बुक नं. 15

क्रमांक: 95

क्रमांक.ज.वि.प्रा.अ.शा./82/..........

दिनांक: ....

नोटिस बनाम –

श्री .... स्वामी/अभियोगी

पता ....

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के .... में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20/9/16 को .... बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 28/9/16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

9413319060

प्रवर्तन अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

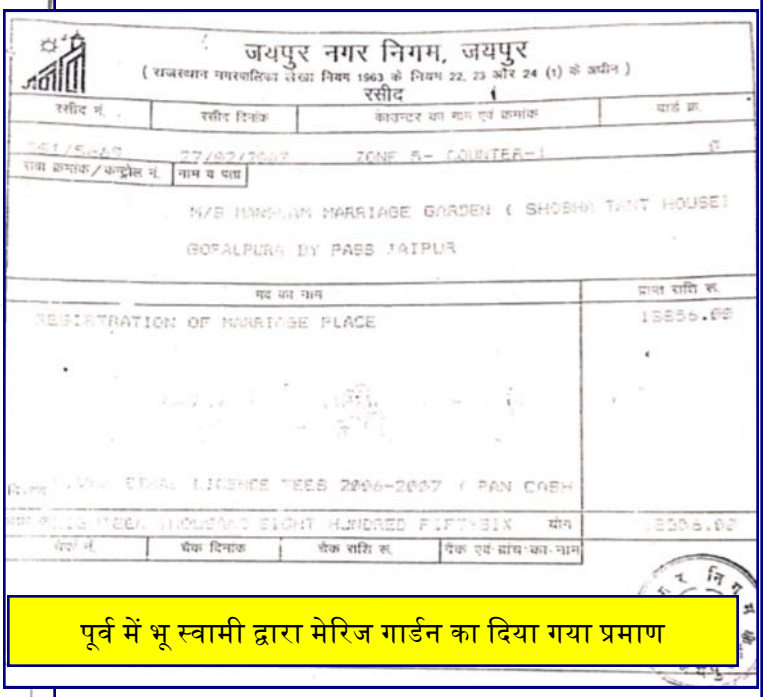

तीन साल पहले 2016 में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा धारा 32 के तहत दिया गया नोटिस

जयपुर नगर निगम, जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22, 23 और 24 (1) के अधीन)

रसीद

रसीद नं.	रसीद दिनांक	काउन्टर का नाम एवं क्रमांक	वार्ड क्र.
[illegible]	27/02/2007	ZONE 5- COUNTER-1	

खाता क्रमांक/कन्ट्रोल नं. | नाम व पता

M/S MANGLAM MARRIAGE GARDEN (SHOBHA TANT HOUSE)
GOPALPURA BY PASS JAIPUR

मद का नाम	प्राप्त राशि रु.
REGISTRATION OF MARRIAGE PLACE	15856.00

पूर्व में भू स्वामी द्वारा मेरिज गार्डन का दिया गया प्रमाण

व्यवसायिक गतिविधियाँ किसी भी हाल में कृषि भूमि पर अनुज्ञेय नहीं|माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना|

अपने जवाब में अवैध निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है उसके द्वारा इस कृषि भूमि पर कभी तो मैरिज गार्डन चलाया गया है तो कभी बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान|वर्तमान में इस जगह पर शराब की दूकान का संचालन किया जा रहा है|जो कि किसी भी हाल में अनुज्ञेय नहीं की जा सकती|भूमि धारक को हर हाल में भूमि का उपयोग परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जे.डी.ए. को इसे सील करनी ही पड़ेगी,कार्यवाही नहीं करने पर जिम्मेदार जे.डी.ए. के अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना के दोषी माने जायेंगे|

मलाई खाने वाले पुलिस के घुसखोर अधिकारियों पर कब होगी कार्यवाही?

सवाल यह है कि जे.डी.ए. में रिश्वत लेकर बिल्डिंगे खड़ी की जा रही है,और जे.डी.ए. के आला अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर इन्हें शह देने का काम कर रहे है,पुलिस के अधिकारी केवल मलाई खाने जे.डी.ए. में आते है|जिसके कई उदाहरण देखने को मिल जायेंगे|देखना यह है कि आखिर जे.डी.ए. के आला अधिकारी कब तक इनको बचाते रहेंगे?